संख्या : सीडीएन/80/2017-समन्वय

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: // जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में दिसम्बर, **2018 माह के लिए मासिक सारांश**

अधोहस्ताक्षरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित दिसम्बर, 2018 माह के लिए हिंदी में मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की एक एक प्रति, एतद्द्वारा, परिपत्रित करने का निदेश हुआ है।

(के.सी. बेहरा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23380547

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

वितरण : **मंत्री परिषद के सभी सदस्य ।**

प्रति (अनुलग्नक सहित) प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन (श्री भाष्कर दास गुप्ता, निदेशक)
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय (श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
7. प्रधान महा-निदेशक (एमएंडसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
8. भारत सरकार के सभी सचिव
9. मंत्री, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव / राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव
10. प्रैस सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे मंत्रालय की वैब-साइट पर अपलोड कर दिया जाए ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में दिसम्बर, 2018 माह की मासिक सार रिपोर्ट

दिसम्बर, 2018 में समाप्त माह के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

1. संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन 18 दिसम्बर, 2018 को किया गया । बैठक में 'वन स्टॉप सैंटर स्कीम' के कार्यकरण की विस्तृत समीक्षा की गई ।

- वन स्टॉप सैंटर स्कीम के संबंध में पीएबी की बैठक 28.12.2018 को आयोजित की गई । प्रधान मंत्री के निदेशानुसार अब देश के सभी 718 जिलों में वन स्टॉप सैंटर स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

2. मंत्री समूह की बैठक

- अनिवासी भारतीयों के वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 10 दिसम्बर, 2018 को मंत्री समूह की बैठक आयोजित की गई ।

- अनिवासी भारतीयों के विवाहों के संबंध में आयोजित मंत्री समूह की बैठक में मैंने भाग लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग के सशक्तीकरण के संबंध में अनेक प्रस्तावों पर चर्चा की गई ।

3. क्षेत्रीय समीक्षा बैठक

पोषण अभियान, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनवाड़ी सेवा तथा किशोरियों के लिए स्कीम के संबंध में कुछ राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन 27.12.2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में किया गया ।

4. महिला शक्ति केंद्र स्कीम के अंतर्गत संशोधित दिशानिर्देश

महिला समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिला शक्ति केंद्र कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए ।

5. 49वां 'नो इंडिया प्रोग्राम (केआईपी)'

49वें 'नो इंडिया प्रोग्राम (केआईपी)' में भाग लेने वाले डायसपोरा यूथ के सदस्यों ने 10 दिसम्बर, 2018 को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की । केआईपी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य 18-30 वर्ष आयु वर्ग के इंडिया डायसपोरा के विद्यार्थियों और युवा व्यावसायिकों में अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने की भावना पैदा करना, भारत में हो रहे बदलावों के प्रति उन्हें प्रेरित करना और समसामयिक भारत की कला, विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करना है । इस बार केआईपी के इस कार्यक्रम में म्यांमार, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, फीज़ी, गुयाना, सूरीनाम तथा त्रिनीदाद और टोबैको सहित 08 देशों के 40 प्रतिभागियों (22 महिला और 18 पुरुष) ने भाग लिया ।

6. बाल संरक्षण नीति 2018

मंत्रालय ने बाल सरंक्षण नीति, 2018 का प्रारुप तैयार किया है । नीति में भारत के संविधान, विभिन्न बाल केंद्रित कानूनों, बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय समझौतों तथा अन्य मौजूदा नीतियों के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षोपायों को शामिल किया गया है । इसका उद्देश्य बाल दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा की रोकथाम तथा उसके संबंध में प्रत्युत्तर के माध्यम से सभी बच्चों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है । इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी संस्थाओं और संगठनों (निगमित और मीडिया घरानों सहित) को बच्चों की सुरक्षा/संरक्षण तथा उनके कल्याण के संबंध में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने दायित्वों को समझने का एक ढांचा प्रदान किया गया है ।

7. राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2018

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2018 के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में 17.12.2018 को राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई ।

8. बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012

बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव का 27.12.2018 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया ।

9. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन :

- विभिन्न स्कीमों के कारगर क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा और विचार विमर्श के लिए नियमित आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिस आयोजित की जा रही हैं ।
- मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस के पूर्ण क्रियान्वयन के फलस्वरूप सरकारी खर्च में बचत हुई है; अंतरमंत्रालयी पत्रादि भी भारी संख्या में ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं ।
- सभी नीतियां/कार्यक्रम/स्कीमें/अधिनियम/संस्वीकृति आदेश आदि पब्लिक डोमेन पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे कि संबंधित पक्षों को इनकी जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो सके ।

***